रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 614] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1985/पौष 9, 1907

No. 614] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 1985/PAUSA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1985

अधिसूचना

का.आ. 928 (अ).—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 968 (अ) दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन के अथवा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के, यथास्थिति पैरा 27, या पैरा 27क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के सम्बन्ध में प्रत्येक नियोजक ऐसे स्थापन अथवा यथास्थिति ऐसे कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग से संबंधित मासिक भविष्य निधि अभिदायों का अन्तरण उस मास के समाप्त होने से 15 दिन के भीतर उस स्थापन के संबंध में सम्यक रूप से गठित न्यासी बोर्ड को करेगा और उक्त न्यासी बोर्ड नियोजक से उक्त अभिदायों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर स्थापन अथवा यथास्थिति कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग से संबंधित भविष्य निधि संचयन अर्थात अभिदाय ब्याज और अन्य प्राप्तियों को किन्हीं बाध्यकर देनदारियों की कटौती करने के बाद निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार विनिहित करेगा अर्थात :—

(1) राजकोष हुण्डियों और राष्ट्रीय जमा रसीदों (श्रृंखला I और II) से भिन्न लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित और जारी की गई हों।	कम से कम 15 प्रतिशत
(2)(क) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां जो किसी राज्य सरकार द्वारा निर्मित और जारी की गई हों	कम से कम 15 प्रतिशत
(ख) कोई अन्य परक्राम्य प्रतिभूतियां जिनके मूलधन और उस पर देय ब्याज की पूरी और	कम से कम 15 प्रतिशत

	बिना शर्त गारन्टी केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हों ।	
(3)	7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (दूसरा निर्गम) और डाकघर सावधि जमा ।	अधिक से अधिक 40 प्रतिशत
(4)	भारत सरकार वित्त मन्त्रालय आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-16(1)—बी० डी०/75, दिनांक 30 जून, 1975 द्वारा शुरू की गई विशेष जमा योजना जिसको अधिसूचना संख्या 16(8)—पी.डी./84, दिनांक 12 जून, 1985 द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1985 से 10 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है ।	अधिक से अधिक 30 प्रतिशत

2. डाकघर सावधि जमा में अथवा विशेष जमा योजना के अंतर्गत निवेश करते समय निधि का प्रशासन करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, डाकघर अथवा जमा कार्यालय को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति का पालन किया गया है :

परन्तु जहां कोई रकम डाकघर सावधि जमा के परिपक्व होने पर प्राप्त हो, वहां ऐसी रकम के 50 प्रतिशत तक की राशि डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेश की जा सकती है और शेष रकम केन्द्र सरकार की विशेष जमा योजना में जमा की जा सकती है ।

यह भी उपबन्ध किया जाता है कि जहां रकम विशेष जमा योजना के अंतर्गत की गई जमा के परिपक्व होने पर प्राप्त हो, वहां ऐसी रकमें केन्द्रीय सरकार की विशेष जमा योजना में पुनः निवेश की जा सकती है ।

3. उपर्युक्त व्यवस्था 1 जनवरी, 1986 से अगले आदेश जारी होने तक प्रवृत्त रहेगी, सिवाय इसके कि विशेष निक्षेप स्कीम को 1 जुलाई, 1985 से 10 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिए जाने के कारण पैरा 2 के दूसरे परन्तुक के उपबन्धों को 1 जुलाई, 1985 से लागू समझा जाएगा ।

[संख्या जी-27035/4/85-एस.एस-2(क)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st December, 1985

NOTIFICATION

S.O. 928 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Labour No. S.O. 968 (E) dated 15-12-1980, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of Sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to any employee or class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions in respect of the establishment or, as the case may be of the employee or class of the employees within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Boards of Trustees shall invest every month within a period of two weeks from the date of receipt of the said contributions from the employer, the provident fund accumulations in respect of the establishment or as the case may be, of the employee, or class of employees that is to say, the contributions, interest and other receipts as reduced by any obligatory outgoings, in accordance with the following pattern, namely :—

(1)	Government securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government other than Treasury Bills and National Deposit Receipts (Series I & II).	Not less than fifteen per cent.
(ii)	(a) Government Securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government;	Not less than fifteen per cent.
	(b) Any other negotiable securities the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	Not less than fifteen per cent.
(iii)	7 Years National Savings Certificates (Second Issue) or Post Office Time Deposits :	Not exceeding forty per cent.
(iv)	Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. F.15(1)-PD/75 dated the 30th June, 1975, which has been extended for a further period of 10 years with effect from 1st July, 1985 vide notification No. 16(8)-PD/84, dated the 12th June, 1985	Not exceeding thirty per cent.

2. At the time of making of an investment in Post Office Time Deposit or under the Special Deposit Scheme, the authority administering the Fund shall furnish a certificate to the Post Office or the Deposit Office as the case may be that the investment pattern prescribed by the Government has been followed :

Provided that where any moneys are received on the maturity of Post Office Time Deposits, an amount upto 50% of such money may be reinvested in Post Office Time Deposits and the balance may be deposited in Central Government Special Deposit Scheme :

Provided further that where moneys are received on the maturity of the deposits under Special Deposits Scheme such moneys may be reinvested in Central Government Special Deposit Scheme.

3. The above pattern shall be in force with effect from the 1st January, 1986 until further orders, except that the Special Deposit Scheme having been extended for a further period of 10 years with effect from 1-7-1985, the provisions of second proviso to para 2 shall be deemed to have come into force with effect from 1st July, 1985.

[No. G-27035/4/85-SS.II(A)]

का.आ. 929(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि इस निधि से संबंधित सभी धन निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार विनिहित की जाएंगी अर्थात :—

(1)	राजकोष हुण्डियों और राष्ट्रीय जमा रसीदों (शृंखला-i और ii) से भिन्न, लोक ऋण अधिनियम, 1944	कम से कम 15 प्रतिशत

	(1944 का 18) की धारा 2 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित और जारी की गई हों।	
(2)	(क) लोक ऋण अधिनियम 1914 (1914 का 18) की धारा 2 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां जो किसी राज्य सरकार द्वारा निर्मित और जारी की गई हों	कम से कम 15 प्रतिशत
	(ख) कोई अन्य परक्राम्य प्रतिभूतियां जिनके मूलधन और उस पर देय ब्याज की पूरी और बिना शर्त गारन्टी केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हों।	कम से कम 15 प्रतिशत
(3)	7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (दूसरा निर्गम) और डाकघर सावधि जमा।	अधिक से अधिक 40 प्रतिशत
(4)	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, की अधिसूचना संख्या एफ-16(1)-पी.डी./75, दिनांक 30 जून, 1975 द्वारा शुरू की गई विशेष जमा योजना जिसको अधिसूचना संख्या 16(8)-पी.डी./84, दिनांक 12 जून, 1985 द्वारा दिनांक 1 जुलाई 1985 से 10 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।	अधिक से अधिक 30 प्रतिशत

2. डाकघर सावधि जमा में अथवा विशेष जमा योजना के अधीन निवेश करते समय निधि का प्रशासन करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति डाकघर अथवा जमा कार्यालय को या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति का पालन किया गया है :

परन्तु जहां कोई रकम डाकघर सावधि जमा के परिपक्व होने पर प्राप्त हो, वहां ऐसी रकम के 50 प्रतिशत तक की राशि डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेश की जा सकती है और शेष रकम केन्द्रीय सरकार की विशेष जमा योजना मे जमा की जा सकती है :

यह भी उपबन्ध किया जाता है कि जहां रकम विशेष जमा योजना के अंतर्गत की गई जमा के परिपक्व होने पर प्राप्त हो वहां ऐसी रकमें केन्द्रीय सरकार की विशेष जमा योजना में पुनः निवेश की जा सकती है।

3. उपर्युक्त व्यवस्था 1 जनवरी, 1986 से अगले आदेश जारी होने तक प्रवृत्त रहेगी सिवाय इसके कि विशेष निक्षेप स्कीम को 1 जुलाई, 1985 से 10 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिए जाने के कारण पैरा 2 के दूसरे परन्तुक के उपबन्धों को 1 जुलाई, 1985 से लागू समझा जाएगा।

[संख्या जी-27035/4/85-एस.एस-2(ख)]

चित्रा चौपड़ा, निदेशक

S.O. 929(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph(1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 969(E) dated the 15th December, 1980, the Central Government hereby directs that all moneys belonging to the funds shall be invested in accordance with the following pattern, namely :—

(i) Government securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government other than Treasury Bills and National Deposit Receipts (Series I & II)	Not less than fifteen per cent.
(ii) (a) Government Securities as defined in Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government;	Not less than fifteen per cent.
(b) Any other negotiable securities the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	Not less than fifteen per cent.
(iii) 7 years National Savings Certificates (Second Issue) or Post Office Time deposits.	Not exceeding forty per cent.
(iv) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. F.16(1)-PD/75, dated the 30th June, 1975, which has been extended for a further period of 10 years with effect from 1st July, 1985 vide notification No. 16(8)-PD/84, dated the 12th June, 1985.	Not exceeding thirty per cent.

2. At the time of making of an investment in Post Office Time Deposit or under the Special Deposit Scheme, the authority administering the Fund Shall furnish a certificate to the Post Office or the Deposit Office as the case may be that the investment pattern prescribed by the Government has been followed :

Provided that where any moneys are received on the maturity of Post Office Time Deposits, an amount upto 50% of such moneys may be invested in Post Office Time Deposits and the balance may be deposited in Central Government Special Deposit Scheme :

Provided further that where moneys are received on the maturity of the deposits under Special Deposit Scheme such moneys may be reinvested in Central Government Special Deposit Scheme

3 The above pattern shall be in force with effect from the 1st January, 1986 until further orders, except that the Special Deposit Scheme having been extended for a further period of 10 years with effect from 1-7-1985, the provision of second proviso to para 2 shall be deemed to have come into force with effect from 1st July 1985

[No G 27035/4/85-SS II(B)]

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986